राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार--2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 3...... / 2018

रामजानकी बाई पुत्री किशोर जाति मीणा निवासी कवल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोटा

.......अपीलान्ट

♠ बनाम ♠

1. ग्राम पंचायत मऊ जर्ये सरपंच
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....रेस्पोडेंटस

अपील इन्तकाल नं0 559 ग्राम पंचायत मऊ दिनांक 05.03.2018 खारिज फरमाने बाबत्

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील अपीलान्टी : श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनांक: 16.05.2018 निर्णय दिनांक : 16.05.2018

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि माल चकभटेडिया खाता संख्या 79 में खसरा नं0 5/230 रकबा 0.48 है0 तह0 मांगरोल में स्थित है, जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2069--72 में हो रहा है जो कि रामजानकी बाई पुत्री किशोर के खाते दर्ज है। यह कि प्रार्थी तन्हा खातेदार होने के बावजूद प्रार्थीया के खाते की आराजी पर नामा0 संख्या 559 दिनांक 05.03.2018 ग्राम पंचायत मऊ द्वारा तस्दीक किया गया है जो कि मृतक किशोर पुत्र गोपीलाल के वारिसान भंवरलाल, नोन्दाराम, प्रेम बाई, मनभर बाई, रामज्याना बाई पिसरान किशोर एवं गुलाब बाई स्व0 पत्नि किशोर के खाते दर्ज कर दी गई है जबकि उपरोक्त आराजी की एक मात्र तन्हा मालिक रामजानकी बाई थी जो कि पूर्व राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो रही है किन्तु किशोर के अन्य खाते की आराजी खाता संख्या 83 खसरा नं0 192 रकबा 0.11 है0 पर नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थीया के खाते पर भी दर्ज कर दिया गया है जो हल्का पटवारी ने वारिसान के नाम सहवन से दर्ज किया। यह कि नामा0 संख्या 559 पूर्णतया गलत व विधिविरूद्ध होने से शून्य है चूकि प्रार्थीया आज भी जीवित मौजूद है और नामा0 संख्या 559 को खारिज कराने की अधिकारिणी है।

उक्त आशय की अपील प्राप्त होने पर दिनांक 16.05.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में रिपोर्ट ग्राम पंचायत मऊ ली गयी सरपंच ग्राम पंचायत मऊ द्वारा जाहिर किया कि नामा0 संख्या 559 दिनांक 05.03.2018 को खारिज करने में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। तत्पश्चात रिपोर्ट तहसीलदार मांगरोल ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट कमांक/भू0अ0/18/कैम्प मऊ/17 दिनांक 16.05.2018 में अंकन किया कि ग्राम चक भटेडिया में जमाबंदी सम्वत 2073–76 में खाता सख्या 3 पर किशोर पुत्र गोपीलाल मीना के नाम खसरा नं0 5/230 रकबा 0.48 है0 भूमि खाते दर्ज है। उक्त खाते में नामा0 सख्या 504 दिनांक 01.07.2016 से मृतक किशोर के स्थान पर रामजानकी बाई पुत्री किशोर मीणा का नाम खाते दर्ज करने की स्वीकृति हुई उक्त नामा0 संख्या 504 का नोट जमाबंदी सम्वत 2069–72 में तस्दीक उपरांत लगा दिया गया। परन्तु चक भटेडिया की जमाबंदी 2073–76 बनाते समय उक्त नामा0 संख्या 504 का अमल दरामद 15.06.2016 के बाद का होने से जमाबंदी 2073–76 में नही हुआ। परन्तु जमाबंदी 2073–76 चक भटेडिया दिनांक 29.07.2017 को फाईल पी–28 लगने के बाद उक्त नामा0 संख्या 504 का नोट तत्कालीन पटवारी भागीरथ सहरिया द्वारा जमाबंदी में नही लगाया। जमाबंदी में नोट नही होने के कारण किशोर पुत्र गोपीलाल का विरासत नामा0 उसके सभी वारिसान के नाम दर्ज कर दिनांक 05.03.2018 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया गया। नामा0 संख्या 559 पटवारी राम गोपाल मीणा द्वारा जमाबंदी में किशोर पुत्र गोपीलाल के खाते पर नामा0 504 का नोट अंकित नही होने के कारण सहवन से दर्ज हुआ है अतः चक भटेडिया का नामा0 559 गलत दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त फरमाने की कृपा करें।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व रिपार्ट ग्राम पंचायत मऊ व एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट के आधार पर माल चकभटेडिया खाता संख्या 79 में खसरा नं0 5/230 रकबा 0.48 है0 में खोला गया इन्तकाल संख्या 559 दिनांक 05.03.2018 को निरस्त किया जाता है एवं पूर्व इन्तकान संख्या 504 दिनांक 01.07.2016 को बहाल रखा जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प मऊ मजमेंआम में सुनाया गया।